तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो ...
	प्रार्थना-पत्र 12-8 [illegible] स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर रा० कि० नियमानुसार पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर [illegible] से [illegible] तामील जिला [illegible] मध्यम की [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

SDM

27/6/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 LRA स्वीकार

योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जरआर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 11 / 2023

वउनवान

1. मूलचन्द पुत्र श्री प्यारेलाल जाति अहीर निवासी पहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र किशोरी जाति अहीर निवासी पहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा111, 128 लैण्डरेवन्यु एक्ट

उपस्थित श्री भागचन्द जैन एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश दिनांक 27.06.223

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर163 रकवा 0.2800 हे. ग्राम पहाडी तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी का विजरहकर काश्तकरता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 163 / 434 रकवा 0.28 हे. वाके ग्राम पहाडी तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरानम्बर 163 / 434 खसरानम्बर 163 के तरफ पूर्व को भिडवां स्थित है।प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के वीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिस कच्ची मेड को अप्रार्थी वो इसके लडकों ने धीरे धीरे ट्रेक्टर से जुताई कर स्वंय के खेत में मिला लिया तथा वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। प्रार्थी जव दोनों खेतों के मध्य दिनांक 1.04.2023 को कच्ची मेड करने लगा तो अप्रार्थी ने कच्ची मेड बना ने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी स कहा कि दोनों के खेतों की पैमायस करवा के वीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमायस के लिये भीम ना कर दिया। जिंस कारण प्रार्थी स्वंय के खेत खसरा नम्बर 163 की पैमाइस करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है।अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार परपत्थरगढी कराये जाने का निवेदन कियाहै।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया।दिनांक 29.05.2023 को अप्रार्थी बाबजूद तामील उपस्थित नही आया उस के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हालसंवत् 2075 से 2078 व छाया प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम पहाडी पेश की हैजो शामिल पत्रावलीहै।

हमने पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय वहस सुनी।मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 163 रकवा 0.28 हे. ग्राम पहाडी तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है।मुताविक नक्शा ट्रेस इस आराजी के तरफ पूर्व को खसरा नम्बर 163/434 वाके ग्राम पहाडी स्थित है जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा दोनों खेतों के मध्य पुरानी कच्ची डौल को ट्रेक्टर जोत कर अपने खेत में मिलाना कथन किया है व यह भी कथन किया कि मौके पर वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेडनहींहै।जिसकेलियेप्रार्थी ने पैमाइस कराने व सीमाज्ञान के प चात व सीमाज्ञानको ध्यानमें रखते हुय पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है।अप्रार्थी वावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनने पर प्रार्थीका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाताहै।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर163 रकवा 0.28 हे. वाके ग्राम पहाडी की पैमाइस कर खसरा नम्बर 163 व खसरा नम्बर 163/434 वाक ग्रामपहाडी के वीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकरप्रार्थी के खर्चेप रपत्थरगढी कराकर पालनारिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः यह आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०